संख्या-190/2021/936/41-2021-20(बजट)/2019

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 05 मार्च 2021**

विषय:-**जनपद वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास की प्रायोजना हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6768/6-1-1(1019)/2019-20, दिनांक 01 मार्च 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें ।

2- **जनपद वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास की प्रायोजना हेतु** शासनादेश संख्या-41/2019/605/41-2018-20(बजट)/2019 दिनॉक 18 फरवरी, 2019 द्वारा रू0 1309.58 लाख (रूपये तेरह करोड़ नौ लाख अट्ठावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश सं0-184/2019/1828/41-2019-20(बजट)/2019 दिनांक 03 जुलाई 2019 द्वारा जनपद वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धन के पुनर्विकास एवं विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य एवं परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का क्रय /अधिग्रहण किये जाने हेतु कुल रू0-4429.58 लाख (रू0-3320.00 लाख भूमि क्रय हेतु + रूपये 1109.58 लाख पूर्व से स्वीकृत परियोजना के अवशेष निर्माण कार्य हेतु) पुनर्विनियोग के माध्यम से महानिदेशक,पर्यटन के निर्वतन पर रखे गये। उक्त के उपरान्त प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन के समय डिजाइन में संशोधन होने यथा-सामुदायिक भवन की साइज 1400 वर्ग मी0 से 1600 वर्ग मी0 तथा छत की ऊँचाई 6.50 मी0 किये जाने के कारण प्रायोजना का संशोधित आगणन कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 भदोही, इकाई द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसका परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा करते हुए संशोधित प्रायोजना के आगणन रू0 1770.00 लाख के सापेक्ष रू0 1514.02 लाख+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर) आकलित की गयी, जिसके अनुक्रम में शासनादेश सं0-212/2019/1837/41-2019-20(बजट)/2019 दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा रू0 1514.02 लाख+ जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक, पर्यटन द्वारा शासनादेश सं0-184/2019/1828/41-2019-20(बजट)/2019 दिनांक03 जुलाई 2019 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-4 में निहित प्राविधान के क्रम में प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-41/2019/605/41-2018-20(बजट)/2019 दिनॉक 18 फरवरी, 2019 द्वारा निर्गत की गई रू0 1309.58 लाख (रूपये तेरह करोड़ नौ लाख अट्ठावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवमुक्त की गई धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0-155.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र , गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये निर्वतन पर रखी गई अवशेष धनराशि रूपये 1109.58 लाख को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया । उक्त प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश सं0-260/2020/1636/41-2020-20(बजट)/2019 दिनांक 11 नवम्बर 2020 द्वारा जनपद वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास की प्रायोजना के अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी हुई अवशेष धनराशि रू0-1109.58 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0- 196.00 लाख (रू0-एक करोड छियानवे लाख मात्र) को अवमुक्त किया गया ,परन्तु महानिदेशक पर्यटन द्वारा अपने पत्रांक-4643/6-1-1/(1019)/2019-20 दिनांक 19-12-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू0-11,09,58,000.00 को पूर्व में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जा चुका है , जिसके कारण शासनादेश दि0-11-11-2020 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के क्रम में द्वितीय किश्त का आहरण संभव नहीं है। अत: द्वितीय किश्त की धनराशि को पुन: मद सं0-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास से अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त पृष्ठभूमि में शासनादेश सं0-260/2020/1636/41-2020-20(बजट)/2019 दिनांक 11 नवम्बर 2020 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मस्थली सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास की प्रायोजना के अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु **द्वितीय किश्त के रूप में रू0- 196.00 लाख (रू0-एक करोड छियानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि किसी भी प्रकार से दोहरा आहरण न होना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृति की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं:-**

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-41/2019/605/41-2018-20(बजट)/2019 दिनॉक 18 फरवरी, 2019 शासनादेश सं0-184/2019/1828/41-2019-20(बजट)/2019 दिनांक03 जुलाई 2019एवं शासनादेश सं0-212/2019/1837/41-2019-20(बजट)/2019 दिनांक 16 अगस्त 2019 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन /कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (v ii) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास- 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर 2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-190/2021/936/41-2021-20(बजट)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त वाराणसी।
4- जिलाधिकारी वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
9- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 भदोही इकाई, भदोही, उ0प्र0
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 , उ0प्र0शासन ।
11- संयुक्त निदेशक पर्यटन, वाराणसी।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।